फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

कन्हैयालाल वगै0 बनाम सरकार

ंख्या : 126/2021

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 7.1100है0 भूमि ग्राम बोबाडी, पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ मे स्थित है। हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 5 का जिसके हाल सेटलमेंट बाद नवीन जमाबन्दी हाल खसरा नम्बर 14 कायम करते समय राजस्व रिकार्ड में रकबा तो सही दर्ज कर दिया गया लेकिन राजस्व नक्शें में तरमीम किया गया वो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व पूर्व नक्शें के मुताबिक नही की गई। नवीन नक्शा कायम करते समय सीमाये पुराने नक्शे अनुसार नही कर गलत तरीके से नक्शा बना दिया गया तथा नक्शे मे प्रार्थीगण की भूमि लगभग 3 बीघा कम कर दी गई और नक्शें की आकृतियों मे भी परिवर्तन कर दिया गया। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज नवीन नक्शें को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे व हाल सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 5 के नक्शेनुसार नवीन नक्शा बरारी करते हुये दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में हाल सैटलमेंट के दौरान मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5 मी. रकबा 7.11है0 व साबिक खसरा नम्बर 5 मी. रकबा 0.01है0 के हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 0.01है0 दर्ज हुये। ग्राम बोबाडी के साबिक खसरा नम्बर 5 की तरमीम का मिलान हाल नक्शें में खसरा नम्बर 14 से मिलान करने पर अन्तर पाया गया एवं उक्त खसरा नम्बरान के अलावा अन्य खसरा नम्बरान की सीमाओं का भी मिलान नही होने से नक्शा दुरस्ती प्रस्तावित नही की जा सकती है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम बोबाडी के नक्शें में अंकित अन्य खसरा नम्बरान की सीमाओं को मिलान नही हो पा रहा है तथा पूरा नक्शा ही दुरूस्तनीय है। जो सक्षम स्तर से ही होना संभव है। ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थीगणों की आराजियात का नक्शा दुरूस्ती किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	